फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

असलम बनाम श्रीमती खुरशीद

केस संख्या 07/2021 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
20.09.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित है। अपीलार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 121/2019 ब उनवानी श्रीमती खुरशीद बनाम असलम में पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 के विरूद्व यह अपील पेश की है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 में केवल अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह अपील प्रत्यर्थी वरिष्ठ नागरिक श्रीमती खुरशीद के पुत्र द्वारा पेश की गई है। फलस्वरूप पुत्र द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। 20/9/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	